

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-2215/2010/जयपुर

मैसर्स विद्या टेलीलिंक्स लिमिटेड,  
सिरसी रोड, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम  
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
उडनदस्ता-नवम्, राजस्थान, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी.एल.शर्मा,  
अभिभाषक।  
श्री एन.के.बैद,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.03.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 246/अपील्स-IV/08-09/के में पारित आदेश दिनांक 17.06.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, राजस्थान नवम्, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित कर राशि रूपये 60,296/- एवं शास्ति राशि रूपये 1,44,711/- कुल मांग राशि रूपये 2,05,007/- को यथावत् रखा गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.02.2009 को वाहन संख्या आरजे 34-जीए-0088 को कुण्डा से हिण्डौन जाते समय जयसिंहपुरा, जयपुर पर चैक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित इलेक्ट्रिक सामान से संबंधित दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने बिल व बिल्टी प्रस्तुत किये। जिनकी जांच के दौरान कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि बिल में कांट-छांट करी हुई है। परिवहनित माल के साथ बिल, बिल्टी के साथ घोषणा प्रपत्र वैट-47 नहीं पाया गया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी किया, जिसकी पालना में अपीलार्थी व्यवहारी ने जवाब के साथ घोषणा प्रपत्र वैट-47 प्रस्तुत किया। उक्त वैट-47 की जांच किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि उक्त वैट-47 विभाग द्वारा माल पकड़े जाने के बाद जारी करवाया हुआ है। जिसके कारण कर निर्धारण अधिकारी ने बिना घोषणा प्रपत्र वैट-47 के माल के परिवहन पर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति राशि रूपये 1,44,711/- एवं अधिनियम की धारा 76(13) के अन्तर्गत कर राशि रूपये 60,296/- कुल मांग राशि रूपये 2,05,007/- का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण

लगातार.....2

अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्होंने प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि परिवहनित माल के साथ परिवहन के दौरान बिल व बिल्टी मौजूद थे, अब चूंकि क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही पंजीकृत व्यवसायी हैं। अतः अपीलार्थी व्यवहारी पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक वैट-47 का प्रश्न है, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के नोटिस की पालना में जवाब के साथ प्रस्तुत कर दिया गया था, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.पी.मेटल बनाम राजस्थान सरकार 124 एसटीसी 611 के अनुसार स्वीकार योग्य था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अविधिक रूप से कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी पर कर एवं शास्ति का आरोपण कर दिया, जो अनुचित है। उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेशों को निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच अपीलार्थी व्यवहारी के पास परिवहनित माल संबंधित वैट-47 का होना अनिवार्य था, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा करापवंचन की नियत से बिना वैट-47 के ही माल का परिवहन किया गया था। अतः उन्होंने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।


6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड का अध्ययन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इलेक्ट्रिक गुड्स का परिवहन किया गया था, उक्त माल अधिसूचित श्रेणी का होने के कारण, इसके साथ घोषणा प्रपत्र वैट-47 का होना आवश्यक था। व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के कारण बताओ नोटिस के साथ वैट-47 प्रस्तुत करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी.पी.मेटल बनाम राजस्थान सरकार 124 एसटीसी 611 का उद्धरण प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार नोटिस की पालना में वैट-47 प्रस्तुत कर दिये जाने पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता।

7. हस्तगत प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिया गया वैट-47 स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा नहीं? इस बाबत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के माल की जांच के दौरान वैट-47 प्रस्तुत नहीं किया अपितु माल के पकड़े जाने के पश्चात् विभाग से जारी करवाकर नोटिस के जवाब के साथ प्रस्तुत

किया। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उद्धरित माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय डी.पी.मेटल बनाम राजस्थान सरकार 124 एसटीसी 611 इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल पकड़े जाने के पश्चात् विभाग से वैट-47 जारी करवाकर प्रस्तुत किया, जो कि अपीलार्थी व्यवहारी की पश्चात्वर्ती सोच को दर्शाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा भी यह माना गया कि वैट-47 को भूल से पीछे भी नहीं छोड़ा गया है, अपितु विभाग से बाद में जारी करवाया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने इसे अस्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 का निर्णय लागू होता है जिसके अनुसार माल परिवहन के समय (Mandatory Provision) की पालना में विहित घोषणा पत्र साथ होना आवश्यक है। अतः कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

8. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य